प्रभात खबर
पटना, मंगलवार
6 अगस्त, 2013
06

कार्डधारी काम मांगेंगे तभी तो मिलेगा : मंत्री

- ग्रामीण विकास मंत्री ने सीएजी रिपोर्ट पर उठाये सवाल
- कहा, मनरेगा में मांगने पर सबको मिलता है रोजगार
- बिहार को एक रुपया से नहीं होना पड़ा वंचित

संवाददाता ■ पटना

सीएजी रिपोर्ट में मनरेगा पर सवाल खड़ा किये जाने के बाद राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्र ने केंद्र पर पलटवार किया है. उन्होंने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मनरेगा मांग आधारित योजना है. जितने लोग काम मांगते हैं, उन्हें रोजगार दिया जाता है. अगर कोई रोजगार की मांग नहीं करता है, तो रोजगार नहीं दिया जाता. जॉब कार्डधारी द्वारा काम की मांग करने पर 15 दिनों में रोजगार दिया जाता है.

अगर सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब आपत्तिजनक है. सीएजी रिपोर्ट में यह बताया जाना कि बिहार 9,500 करोड़ की राशि से वंचित हो गया, हास्यास्पद है. राज्य को इसके लिए एक भी रुपये से वंचित नहीं होना पड़ा है. इस योजना के लिए केंद्र से आवंटन नहीं दिया जाता है. सीएजी रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर पर जारी की गयी है. अन्य राज्यों की स्थिति तो बिहार से भी खराब है.

उन्होंने बताया कि पंचायत अपनी क्षमता के अनुसार राशि खर्च करती है. सूबे में एक करोड़ 33 लाख जॉब कार्डधारी हैं, जबकि यह देखा गया है कि नियमित रूप से महज 40 लाख लोग ही काम की मांग करते हैं. जॉब कार्ड बनवाने की मनाही किसी को नहीं है.

इसमें बीपीएल, एपीएल व अमीर-गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं है. मनरेगा मामले में तो बिहार देश का अकेला राज्य है, जिसने 500 करोड़ रुपये का कॉरपस फंड तैयार किया है. सच तो यह है कि केंद्र द्वारा समय पर राशि जारी नहीं करने के कारण चार माह का काम नहीं दिया जा सका था. उन्होंने बताया कि इंदिरा आवास योजना आवंटन आधारित है. इसमें आवंटित लाभुक को आवास नहीं दिया जाना गंभीर मामला हो सकता है. रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि सीएजी ने राज्य सरकार द्वारा खर्च किये गये 10 हजार करोड़ की राशि में सही उपयोग होने के कारण ही कोई बड़ी अनियमितता नहीं पकड़ी है.

राष्ट्रीय स्तर पर भी खामियां

उन्होंने कहा कि सीएजी ने कई राज्यों में अनियमितता को उजागर किया है. राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार में गिरावट दर्ज की गयी है. 11 राज्यों व एक केंद्रशासित प्रदेश में या तो योजना तैयार नहीं की गयी या अधूरी है. हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान व उत्तरप्रदेश में मार्च, 2012 तक मनरेगा की नियमावली ही तैयार नहीं हुई थी. अरुणाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर व तमिलनाडु में पंचायत रोजगार सेवक की नियुक्ति ही नहीं की गयी है.